

वित्तीय दिशानिर्देश

कार्यक्रम का नाम- STI/RTI Service Delivery

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष- Other MH Training (Any integrated training etc.).
Training of MOs and Paramedics at sub district level

बजट क्रम संख्या /एफ०एम०आर० कोड संख्या- A.9.3.7

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण -

यौन संचारित संक्रमण और प्रजनन पथ के संक्रमण (एसटीआई/आरटीआई) भारत में एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या है। भारत में 6 प्रतिशत वयस्क जनसंख्या में से एक या एक से अधिक एसटीआई/आरटीआई से संक्रमित है। एसटीआई/आरटीआई नियंत्रित करने से एचआईवी संक्रमण दर को कम किया जा सकता है। एसटीआई/आरटीआई देखभाल सेवा की व्यवस्था करना एचआईवी संचरण को रोकने और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की रणनीति है।

इसी संदर्भ में जिला स्तर पर स्वास्थ्य ईकाईयों के चिकित्सा पदाधिकारियों एवं पारामेडिकल कर्मचारियों (स्टाफ नर्स/ए०एन०एम० एवं प्रयोगशाला प्रावैधिकी) को एसटीआई/आरटीआई पर प्रशिक्षित किया जाना है।

इकाई राशि (रु० में)-

- ❖ चिकित्सा पदाधिकारी के प्रशिक्षण हेतु 65000/- रु० प्रति बैच/प्रति जिला
- ❖ स्टाफ नर्स/ए०एन०एम० एवं प्रयोगशाला प्रावैधिकी के प्रशिक्षण हेतु 50000/- रु० प्रति बैच/प्रति जिला

प्रशिक्षण की विवरणी एवं आवंटित राशि

क्रम सं०	प्रशिक्षणार्थी	प्रशिक्षण का बैच	प्रति बैच आवंटित राशि
1	जिला के चिकित्सा पदाधिकारी	2 बैच में	65000/-
2	जिला के पारामेडिकल कर्मचारियों (स्टाफ नर्स/ए०एन०एम० एवं प्रयोगशाला प्रावैधिकी)	2 बैच में	50000/-

वित्तीय दिशा निर्देश : जिला स्तर पर स्वास्थ्य ईकाईयों के चिकित्सा पदाधिकारियों एवं पारामेडिकल कर्मचारियों (स्टाफ नर्स/ए०एन०एम० एवं प्रयोगशाला प्रावैधिकी) को एसटीआई/आरटीआई पर प्रशिक्षित करने हेतु उपरोक्त सारणी के अनुसार व्यय किया जाना है।

इस संदर्भ में पूर्व में प्रेषित पत्र संख्या एवं तिथि :

(क)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम-डा० एन० के० मिश्रा, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर-9470003022

